

10/11/21
4/2/2022

आज भक्त पत्रावली प्राची आवश्यकता के द्वारा मूलवाद में मासिक पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। प्राची आवश्यकता के द्वारा मूलवाद नोटिफिकेशन किया गया है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अयोजित नहीं है। प्राची का मासिक पत्र अल्पतया धारा 212 RA में रसी स्तर पर जारी किया जाता है तथा प्रकरण में जारी सिंक 24/11/21 को अस्थायी निविधान भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्माण होकर नम्बर से कम होकर नम्बर दफतर हो



उपसचिव अखिली (राजस्थान)
श्री जयपुर